

राजस्थान सरकार
नगरीय विकास विभाग

क्रमांक प. 4(21)नविवि/11/2019

जयपुर, दिनांक

11 0 JUN 2020

आज्ञा

जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर के अधीक्षण अभियन्ता से अतिरिक्त मुख्य अभियन्ता पदों हेतु पदोन्नति वर्ष 2020-21 की रिक्तियों के विरुद्ध पदोन्नति हेतु जयपुर विकास प्राधिकरण कर्मचारी (भर्ती एवं सामान्य शर्तें) विनियम 1984 के तहत विभागीय पदोन्नति चयन समिति की बैठक दिनांक 02.06.2020 को आयोजित बैठक की अभिशंषा में निम्नानुसार अधीक्षण अभियन्ता को अतिरिक्त मुख्य अभियन्ता के पद पर वेतन श्रृंखला L-21 (37400-67000 ग्रेड-पे 8700) में कार्यग्रहण करने की तिथि से एतद्द्वारा पदोन्नत किया जाता है :-

क्र.सं.	कर्मचारी का नाम सर्व श्री	वर्ग	वर्ष
1.	देवेन्द्र गुप्ता	2020-21	01.04.2020
2.	अजय गर्ग	2020-21	01.06.2020
3.	बी एल जाटव (अजा)	2020-21	01.07.2020
4.	संजीव कुमार जैन	2020-21	01.10.2020

उक्त अधीक्षण अभियन्ताओं की अतिरिक्त मुख्य अभियन्ता के पद पर पदोन्नति उनके नाम के सम्मुख अंकित रिक्त दिनांक से प्रभावी होगी, लेकिन वास्तविक नकद वेतन परिलाभ कार्यभार ग्रहण किये जाने की तिथि से देय होगी।

उक्त अतिरिक्त मुख्य अभियन्ता अपने पदस्थापन स्थान पर ही कार्यग्रहण कर कार्यग्रहण रिपोर्ट भिजवायेंगे।

राज्यपाल की आज्ञा से,

Sd-

(मनीष गोयल)

संयुक्त शासन सचिव-प्रथम

प्रतिलिपि:-निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. विशिष्ट सहायक, माननीय मंत्री महोदय, नगरीय विकास एवं आवासन विभाग, राज. जयपुर।
2. निजी सचिव, शासन प्रमुख सचिव, नगरीय विकास एवं आवासन विभाग, राज. जयपुर।
3. सचिव, विकास प्राधिकरण, जयपुर/अजमेर/जोधपुर।
4. शासन वरिष्ठ उप सचिव, नविवि को विभाग की साईट पर अपलोड हेतु।
5. संबंधित अभियन्ता.....।
6. निजी पत्रावली/रक्षित पत्रावली।

(मनीष गोयल)

संयुक्त शासन सचिव-प्रथम